आदेश पत्र...

दी। [signature]

सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

22/12/24 - आज पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वादी का वाद स्वीकार होने पर स्वीकार किया जाकर पृथक से विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया गया।

[signature]

सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
165 / 24	02 / 07 / 24	22 / 12 / 25

// उनवान //

1. राकेश कुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– **वादी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– **प्रतिवादी**

2. अन्नु पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
3. नरेश कुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
4. मन्ना देवी पत्नि वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
5. मनीषा पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
6. रीनू पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
7. रोहित पुत्र वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
8. संतोष देवी पत्नि मामचन्द जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।

:– **तर0 प्रतिवादीगण**

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री बस्तीराम यादव एवं श्री मुकेश पटेल वकील तर0 प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांक :– 22 / 12 / 2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 138 रकबा 0.33 हैक्0, 152 रकबा 0.16 हैक्0, वाके ग्राम नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहिजा जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 सलंग्न है।
2. यह है कि विवादित आराजी हाल ख0न0 138 रकबा 0.33 हैक्0, 152 रकबा 0.16 हैक्0, मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। जो आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को जरीये विरास्त प्राप्त हुई है जिस आराजी में मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हो रहा है। तथा वादी व तर0 प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधि0 व राज0 जागीरदारी/विश्वेदारी उन्मूलन अधि0 के लागू होने से पूर्व ही वादी व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार स्वतः ही अर्जित जो चुके थे, लेकिन राजस्व रिर्कोड में अ.वि.व–छीतर पु.मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल का अंकन दर्ज चला आ रहा है। जो मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के ही पूर्वज है। लेकिन उक्त आराजी पर वादी व तर0 प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में शिकमीसाल का अंकन दर्ज चला आ रहा है, इस प्रकार शिकमीसाल का गलत अंकन से मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों को कई बार अपने नाम के आगे दर्ज शिकमीसाल को हजफ करने बाबत कहा तो उन्होने दिनांक 25.6.2024 को मना कर दिया, बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्म पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती पेश करना लाजिमी आया है।
4. यह है कि उक्त आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को विरास्त से प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जो मिन वादी व प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजो से जरियें विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा आराजी राजस्व रिकर्कोड में अ.वि.व–छीतर पु.मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल में दर्ज है, लेकिन आराजी पर मिन वादी व प्रतिवादीगण राज0 काश्तकारी अधि० लागू होने के दिन से व पूर्व व राजस्थान जागीरदारी/विश्वेदारी उन्मूलन अधि0 के लागु होने के दिन व पूर्व से ही आराजी पर काबिज काश्त रहे है तथा काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिए मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में गलत अंकन अ.वि.व–छीतर पु.मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल का चला आ रहा है तथा जो अंकन गलत रूप से दर्ज है तथा आराजी दादालाई होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति बहक वादी है, इसलिए राजस्व रिकॉड में हो रहे गलत इन्द्राज शिकमीसाल का अंकन को हजफ किया जाकर, मिन वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में अंकन दर्ज किया जाकर, राजस्व रिर्कोड में हो रहे अ.वि.व छीतर पु. मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल को अंकन को हजफ किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जावे।
5. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 25.06.2024 को पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
6. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। इसलिए दावा अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर श्रवण योग्य अदालत श्रीमान है।
7. यह है कि दावा हाजा पर उचित कोर्ट फीस व उचित तलबाना शुल्क चस्पा है।
8. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती का पेश किया जा रहा है, जिस कारण दावा में राज० सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर को पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा0 दी0 दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है, इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिना नोटिस दिये ही वाद पेश करने की इजाजत हेतु वादपत्र के साथ अलग से धारा 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
9. अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार फरमाया जावे आदेश दिया जावे।
(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस प्रकार पारित की जाकर, मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को आराजी 138 रकबा 0.33 हैक्0, 152 रकबा 0.16 हैक्0, वाके ग्राम नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर में दर्ज वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम के आगे दर्ज अ.वि.व.

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

छीतर पुत्र मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल को कलमजन कर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन रहा।
(ब) अन्य दीगर दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्शी जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। तर0 प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 8 की तरफ से ईकबाल जवाब पेश किया गया एवं जवाब ईकबाल में तर0 प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम तर0 प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/राजस्व./2025/कैम्प/145 दिनांक 31.10.2025 में हाल खाता संख्या 297 के आराजी खसरा नम्बर 138, 152 किता 2 पर समस्त खातेदार अन्नु, मनीषा, रीनू पुत्रीयान वीरेन्द्र सिंह, मन्ना देवी पत्नि वीरेन्द्र सिंह, रोहित पुत्र वीरेन्द्र सिंह, नरेश, राकेश पुत्रान मामचन्द एवं संतोष देवी पत्नि मामचन्द जाति जाट द्वारा काश्त कार्य किया जा रहा है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1, राकेश कुमार पुत्र श्री मामचन्द पीडब्लयू–2, रोहित पुत्र वीरेन्द्रसिंह साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 आराजी खसरा नम्बर 138, 152 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी एवं प्रतिवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी हाल ख0न0 138 रकबा 0.33 हैक्0, 152 रकबा 0.16 हैक्०, मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। जो आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को जरीये विरास्त प्राप्त हुई है जिस आराजी में मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हो रहा है। तथा वादी व तर0 प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधि0 व राज0 जागीरदारी/बिश्वेदारी उन्मूलन अधि0 के लागू होने से पूर्व ही वादी व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार स्वतः ही अर्जित जो चुके थे, लेकिन राजस्व रिर्कोड में अ.वि.व–छीतर पु. मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल का अंकन दर्ज चला आ रहा है। जो मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के ही पूर्वज है। लेकिन उक्त आराजी पर वादी व तर0 प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में शिकमीसाल का अंकन दर्ज चला आ रहा है, इस प्रकार शिकमीसाल का गलत अंकन से मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उक्त आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को विरास्त से प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जो मिन वादी व प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजो से जरियें विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा आराजी राजस्व रिकर्कोड में अ.वि.व–छीतर पु.मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल में दर्ज है, लेकिन आराजी पर मिन वादी व प्रतिवादीगण राज0 काश्तकारी अधि० लागू होने के दिन से व पूर्व व राजस्थान जागीरदारी/विश्वेदारी उन्मूलन अधि0 के लागु होने के दिन व पूर्व से ही आराजी पर काबिज काश्त रहे है तथा काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिए मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में गलत अंकन अ.वि.व–छीतर पु.मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल का चला आ रहा है तथा जो अंकन गलत रूप से दर्ज है तथा आराजी दादालाई होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति बहक वादी है, इसलिए राजस्व रिकॉड में हो रहे गलत इन्द्राज शिकमीसाल का अंकन को हजफ किया जाकर, मिन वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, इसी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (सैरथल-तिजारा)

प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अ.वि.व छीतर पु.मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल को अंकन को हजफ किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जावे।

तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा तथा वादी के वाद में चाही गई रिलीफ के अनुसार डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य गवाह एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी एवं तर0 प्रतिवादी की हाल आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.33 हैव0 एवं 152 रकबा 0.16 है0 में **वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के नाम के आगे दर्ज "अ0वि. छीतर पुत्र मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल 17/2"** को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **2212.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर खैरथल-तिजारा

(सृष्टि ...)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
165 / 24	02 / 07 / 24	22 / 12 / 25

/ / उनवान / /

1. राकेश कुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– प्रतिवादी

1. अन्नु पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
2. नरेश कुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
3. मन्ना देवी पत्नि वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
4. मनीषा पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
5. रीनू पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
6. रोहित पुत्र वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।
7. संतोष देवी पत्नि मामचन्द जाति जाट निवासी नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री बस्तीराम यादव एवं श्री मुकेश पटेल वकील तर0 प्रतिवादीगण।

–:पर्चा डिक्री:–

वादी की और से श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति एवं तर0 प्रतिवादीगण की और से श्री मुकेश पटेल की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 22.12.2025 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ है। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी कि जाती है।

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी एवं तर0 प्रतिवादी की हाल आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.33 हैव0 एवं 152 रकबा 0.16 है0 में **वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के नाम के आगे दर्ज "अ0विव. छीतर पुत्र मोहन जाट सा. देह शिकमीसाल 17 / 2"** को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **22.12.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाई गयी।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुमित [illegible])
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)